जिसमे उन्हें उच्छेदित करना समुचित नहीं समझा गया है का उल्लेख है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रश्नगत जमींन की बन्दोबस्ती को उनके साथ सम्पुष्टि किया गया है और न तो उनको बन्दोबस्ती दी गई है। एक ही परिवार जो प्रधान के वंशज है, के द्वारा उक्त तीनों दाग में 39 बीघा 02 कठ्ठा 16 धूर जमींन दखल किया जा रहा है। इसके आलवे निम्न न्यालालय के अभिलेख में समर्पित अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में दाग सं0 94/109 रकवा 1.06 बाड़ी पर भी सूर्य कुमार भूई का दखल है। जिसका अपीलकर्त्ता द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दागों पर प्रधान तथा उनके गोतिया द्वारा दखल किया जा रहा है। इस प्रकार एक ही परिवार (गोतिया) एवं प्रधान द्वारा इतनी जमींन का दखल कब्जा किया जाना नियम के विरूद्ध कहा जा सकता है। किन्तु इनके द्वारा प्रश्नगत जमींन पर काफी दिनों से दखल कब्जा है। इनके द्वारा मकानमय सहन निर्माण कर सपरिवार वसोवास कर रहें है तथा पोखर का निर्माण कर जिविकोपर्जन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त जमींन से उच्छेदित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन जमींन पर इनके दखल को सम्पुष्ट किया जाता है। शेष जमींन के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को निदेश दिया जाता है कि इस जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार आदेश पारित किया जाय। चुँकि प्रधान की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

Seen 10/6/16

उक्त ई0ई0 वाद सं0 81/1971–72 में आदेश दिनांक 23.10.1972 को की गई है। उन्होंने इस आदेश को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वयं पुनः समीक्षा करना न्यायसंगत नहीं कहा है। उन्होंने पी.एल.जे.आर. 2000(3) पेज सं0 756 से 758 दाखिल कर कहा है कि प्रधान अपने गोतिया या संबंधियों को जमींन की बन्दोबस्ती कर सकते है। इस आधार पर उन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अभिलेख में उपलब्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका का प्रतिवेदन जो उनके पत्रांक 16 दिनांक 06.01.1994 द्वारा न्यायालय को समर्पित किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के दाग सं0 1, 27 एवं 33 में भूतपूर्व प्रधान बाबुलाल भूई ने अपने पुत्रगण यथा हरेराम भूई, फणिभूषण भूई एवं शिवराम भूई (क्रमशः अपीलकर्त्ता संख्या 1, 2 एवं 3) तथा पौत्र वर्त्तमान प्रधान हरेन्द्रनाथ भूई तथा उनके भाई धीरेन्द्रनाथ भूई (अपीलकर्त्ता सं0 4) को कुल 39 बीघा 02 कठ्ठा 16 धूर जमींन की बन्दोबस्ती किया गया है। यह जमींन इन लोगों के शांतिपूर्ण दखल कब्जे एवं जोत आबाद में है। जिसमें 01 बीघा जमींन में मकानमय सहन, 03 बीघा 13 कठ्ठा पोखर, 01 बीघा जमींन पर छोटा पोखर तथा शेष जमींन धानी तथा बाड़ी के रूप में है। हाल सर्वे के दौरान कुल 11.80 एकड़ जमींन खाता सं0 23 हरेन्द्रनाथ भूई, पिता आशुतोष भूई–1 अंश वो फणिभूषण भूई वो शिवराम भूई वो हरेराम भूई, पिता बाबुलाल भूई–3 अंश समान दर्ज है। किन्तु 03 बीघा 13 कठ्ठा बाँध (बड़ा पोखर) तथा 01 बीघा गढ़िया (छोटा पोखर) का खाता खास अनाबादी खाता के अन्तर्गत दर्ज है।

अभिलेख के साथ संलग्न ई0ई0 वाद सं0 81/1971–72 में पारित आदेश दिनांक 23.10.1972 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला भी मौजा के उसी दाग सं0– 1, 27, एवं 23 के उच्छेदित से संबंधित है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बन्दोबस्ती को सम्पुष्ट नहीं किया गया है, बल्कि 25 वर्षो से अधिक की पुरानी बन्दोबस्ती को रद्द कर विपक्षी (अपीलकर्त्ता) को उच्छेदित करना समुचित प्रतीत नहीं होता, का उल्लेख है।

अपीलकर्त्ता द्वारा अपने समर्थन में उक्त जमींन का प्रधान द्वारा निर्गत लगान रसीद 1–178 से 9 (नौ) प्रति में तथा वर्त्तमान सर्वे द्वारा निर्गत खेसरा पर्चा दाखिल किया गया है। उनके द्वारा दाखिल अंचल कार्यालय, जरमुंडी का लगान धार्य वाद सं0 916/1960–61 में पारित आदेश की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद दाग सं0 1, 27 एवं 33 के लगान धार्य से संबंधित है जिसमें आदेश दिनांक 29.04.1963 को मौजा प्रधानी होने के कारण लगान धार्य नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ताओं का प्रश्नगत जमींन की बन्दोबस्ती संबंधी कोई भी पुख्ता कागजात न्यायालय में प्रस्तु नहीं किया गया है, मात्र 9(नौ) प्रति छायाप्रति लगान रसीद ही दाखिल किया गया है। उनका दावा मात्र ई0ई0 वादं सं0 81/1971–72 में पारित आदेश के आधार पर है

(21)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 66/1993–94

शांति सुधा भुई एवं अन्य .....अपीलकर्त्ता

बनाम

जीतु बास्की एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

29/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 66/1993–94 शांति सुधा भुई एवं अन्य, मौजा हरिपुर बनाम् जीतु बास्की एवं अन्य, मौजा हरलाडंगाल, अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 188/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 15.06.1993 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारियों द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा हरलाडंगाल के दाग सं0 1, 27, 33, 102, 91/115, 91/117, 91/118, 91/119, 91/120, 91/122 एवं 91/109 में जमींन बन्दोबस्ती हेतु एस0 आर0 वाद सं0 188/1992–93 दायर किया गया जिसमें अंचल अधिकारी से जांच प्रवितेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, ने अपने पत्रांक 775/रा0 दिनांक 24.12.1992 द्वारा जांच प्रतिवेदन न्यायालय में भेजा है। अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि "मौजा के अधिकांश परती कदीम जमींन या तो प्रधान स्वयं रख लिये है या अपने गोतिया एवं भाई को दे दिया है, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उपरोक्त वर्णित अतिक्रमणकारियों को प्रतिवेदित भूमि से उच्छेदित करते हुए आवेदकों को जो गरीब आदिवासी है, के साथ बन्दोबस्ती करने का आदेश देने की अनुशंसा की जाती है।" अंचल अधिकारी के इस प्रतिवेदन के अनुशंसा के आधार पर अपीलकत्ताओं को प्रष्नगत अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित किया गया एवं मौजा के प्रधान को प्रधान पद से बर्खास्त करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख भेजा गया। तत्पश्चात अपीलकत्ताओं के द्वारा भी उक्त आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया। बाद में दोनों वादों को एक साथ सुनवाई हेतु सम्मिलित किया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा लिखित बहस के साथ कागजात दाखिल किया गया है। अपीलकत्ताओं द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के ई0ई0 वाद सं0 81/1971–72 में पारित आदेश के आलोक में कहा है कि दाग सं0 1, 27 एवं 33 में पूर्व प्रधान बाबुलाल भुई द्वारा बन्दोबस्ती मिला है तथा वह 25 वर्षो से दखलकार है। प्रधान हरेन्द्र नाथ भुई (जिसके विरूद्ध बर्खास्तगी की अनुशंसा किया गया है) द्वारा कोई बन्दोबस्ती नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त जमींन की बन्दोबस्ती की सम्पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के